बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
! ! आदेश !!

पटना, दिनांक ....

संचिका संख्या–20 / प्र7–53 / 2012...................../अराजकीय एस० वकील अहमद शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, दरभंगा के मान्यता के संबंध में सुनवाई दिनांक 14.08.2012 एवं 30.08.2012 को की गई। जिसमें इस प्रशिक्षण महाविद्यालय के सचिव, मो० इकबाल अहमद द्वारा अपना पक्ष रखा गया।

कुलसचिव, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के अधिसूचना संख्या 8497–500 / 98 दिनांक 13.07.1998 द्वारा CWJC No. 5046/97 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में इस प्रशिक्षण महाविद्यालय की 1985–86 से 1996–97 तक ऑपबंधिक संबद्धता प्रदान की गई तथा 1998 में समेकित परीक्षा आयोजित की गई तथा परीक्षाफल प्रकाशित हुआ।

इसी बीच इस संस्था द्वारा नामांकन में की गई धांधली के विरूद्ध निगरानी विभाग द्वारा जाँच की कार्रवाई प्रारम्भ की गई। निगरानी विभाग के जाँच के आधार पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के परीक्षा नियंत्रक, कुलपति के आदेश ज्ञापांक XC/1667/1867/2000 दिनांक 29.02.2000 से इस प्रशिक्षण महाविद्यालय का वर्ष 1998 में आयोजित बी०एड० की समेकित परीक्षा में शामिल छात्र–छात्राओं के नामांकन, परीक्षाफल एवं निर्गत अंकपत्र तथा प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया।

विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेश संख्या XC/1667/1867/2000 दिनांक 29.02.2000 के विरूद्ध CWJC No.11964/2000 एवं 8417 / 2000 दायर किया गया जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा dismiss कर दिया गया इस आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में LPA No. 421/2001 दायर किया गया जिसे dismiss कर दिया गया। उपर्युक्त निर्णय के विरूद्ध SLP No. 1758/2008 शिवेन्द्र मोहन चौधरी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया गया है जो मामला अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।

पूर्वी क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE)] भुवनेश्वर के आदेश संख्या 7647 दिनांक 23.02.1999 द्वारा इस महाविद्यालय को शैक्षणिक सत्र 1999–2000 के लिए 120 छात्रों को बी०एड० में नामांकन हेतु औपबंधिक मान्यता प्रदान की गई। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से प्राप्त मान्यता एवं CWJC No. 11353/2000 में दिये गये न्याय निदेश के आलोक में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा द्वारा एस० वकील अहमद शिक्षक प्रक्षिणं महाविद्यालय, मुर्गियाचक, दरभंगा के सत्र 1999–2000 की परीक्षा वर्ष 2011 में आयोजित की गई तथा 2012 में परीक्षाफल घोषित किया गया है।

इस प्रकार एस० वकील अहमद शिक्षक प्रक्षिण महाविद्यालय, मुर्गियाचक, दरभंगा के सिर्फ सत्र 1999–2000 में विश्वविद्यालय, दरभंगा से परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र ही शिक्षक पद पर नियोजन / नियुक्ति हेतु मान्य होंगे। नियोजन ईकाई संबंधित विश्वविद्यालय से अंकपत्र / प्रमाण पत्रों का सत्यापन अवश्य करा लेंगे।

ह० / –
संयुक्त सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–20 / प्र7–53 / 2012 124 पटना, दिनांक 25/6/2014

प्रतिलिपि :– निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण / कुलसचिव, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा / सचिव, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग, पटना / सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक / सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी / सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) / सभी सदस्य, जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार / सभी अध्यक्ष / सचिव, शिक्षक नियोजन ईकाई / सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ एवं गौरवकांत, आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25/6/14

संयुक्त सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

26/6/14

Office order